

# दीपिका

( गृह पत्रिका )

21-वाँ अंक (2020-21)

प्रथम ई - संस्करण



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, तेलंगाणा

5-9-23, हिलफोर्ट रोड, आदर्शनगर, हैदराबाद-500 063.

# दीपिका

( गृह-पत्रिका )

21-वाँ अंक ( 2020-2021 )

प्रथम ई - संस्करण

## संरक्षक

श्री ए.के. शर्मा

क्षेत्रीय निदेशक

## परामर्शदाता

श्री उत्पल सरकार, उप निदेशक

श्री टी. आर. नरसिंग राव, उप निदेशक

## संपादक मंडल

श्री दिनेश सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)

श्री महेशलाल श्रीवास्तव, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

श्री संदीप सिंह, प्र.श्रे.लि.

श्री पदावला कार्तिक, प्र.श्रे.लि.

श्री एन. राजशेखर, प्र.श्रे.लि.

श्री के. गोपीनाथ, आशुलिपिक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय, तेलंगाणा

5-9-23, हिलफोर्ट रोड, आदर्शनगर, हैदराबाद-500 063.

## क्षेत्रीय निदेशक की लेखनी से .....



कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्य-कलाप सेवार्थ प्रवृत्ति के हैं । अंशदान प्राप्त करना, बीमाकृत व्यक्तियों / महिलाओं तथा उनके परिवार-जनों को सेवाएँ उपलब्ध करवाना, चिकित्सा-सेवाएँ उपलब्ध करवाना, राज्य सरकारों व नियोजकों से समन्वय स्थापित करना तथा स्टेक-होल्डर्स के हितों का ध्यान रखना आदि आदि । इन सब कारोबारी व्यस्तताओं में सामाजिक सुरक्षा कर्मियों व सेवियों को स्वयं के अंतर्मन की अभिव्यक्ति के अवसर कम मिल पाते हैं ।

गृह-पत्रिका अपने कार्यालय के सदस्यों को यह अवसर प्रदान करती है । पत्रिका में अपनी अभिव्यक्ति को उड़ान देकर कार्यालय के सदस्य राहत की अनुभूति कर सकते हैं । इस अनुभूति को समझाने वालों के लिए यह सुख किसी ओयासिस के सुख से कम नहीं होता है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद इस बार अपनी गृह-पत्रिका 'दीपिका' के 21-वें अंक का प्रकाशन ई-पत्रिका के रूप में कर रहा है । यह हर्ष का विषय है ।

आशा है, सुधि पाठक पत्रिका का अवलोकन करेंगे और अपने विचारों व सुझावों से हमें लाभान्वित करेंगे । धन्यवाद ।

शुभ कामनाओं सहित.....

आपका

( ए. के. शर्मा )  
क्षेत्रीय निदेशक



प्राकृतिक संसाधनों की बात न करके यहाँ हम यदि केवल मनुष्य के सामाजिक जीवन के स्तर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य का सामाजिक जीवन गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की ओर अग्रसर है । इस विकास यात्रा को परिवर्तन की यात्रा भी कह सकते हैं या परिवर्धन, परिशोधन, संशोधन की यात्रा भी कह सकते हैं । इस तरह की परिणितियाँ जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विकास यात्रा भी इसी तरह की है । सीमित क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों के नेटवर्क से अपनी सेवाओं का शुभारंभ करके आज निगम अपने क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय / औषधालय-सह-शाखा कार्यालयों / चिकित्सा-महाविद्यालयों / अस्पतालों / अति-विशिष्टता अस्पतालों / प्रशिक्षण-केंद्रों / निदान-केंद्रों / पुनर्वास-केंद्रों आदि के रूप में अपने नेटवर्क को विशाल कर बीमाकृत व्यक्तियों को अपनी बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कर रहा है । अतः निगम कह रहा है -

**“अकेला ही चला था जानिब-ए-मंज़िल मगर**

**लोग मिलते गए, कारवाँ बनता गया”**

निगम की विकास यात्रा अभी जारी है ।

मानव विकास की यात्रा और निगम की विकास-यात्रा की छाया से राजभाषा की विकास-यात्रा भी अछूती नहीं है । राजभाषा के क्षेत्र में भी बहु-आयामी विकास हुए हैं, जिनमें गृह-पत्रिका का प्रकाशन भी एक है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में गृह-पत्रिका 'दीपिका' का प्रकाशन मैनुअल टाइपराईटर, स्टेंसिल, पेपर-बंच से पेपर-बाउंड, मुद्रण, कंप्यूटर-मुद्रण के पड़ावों को पार करते हुए आज कार्यालय में ही तैयार ई-पत्रिका के स्तर तक पहुंच गया है । इस मंज़िल तक पहुंचने में हमारे संपादक-मंडल के सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान है । अतः उन्हें बधाई और धन्यवाद !

आशा है, हमारी आने वाली पीढ़ी भी निगम के और राजभाषा के कार्यों को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए नयी उँचाइयों तक ले जाएँगी ।

पाठकों से निवेदन है कि ई-पत्रिका के रूप में पहली बार प्रकाशित इस गृह-पत्रिका का समय निकालकर अवलोकन करें और अपने सुझावों व विचारों से हमें अवगत कराएँ ।

शुभ कामनाओं सहित.....

आपका

( दिनेश सिंह )  
स.नि. (रा.भा.)



## सुंदर मन से सुंदर बनता जीवन

सुंदर मन से सुंदर बनता जीवन  
चमन फूल से सुंदर बनता कानन ।

निश्छल रिश्तों से मधुर होता जीवन  
भक्ति-भाव से मन हो जाता पावन  
अब तो जान लो रे मेरे भाई !  
पुष्प पराग से महकता है मधुबन ।

सुंदर मन से सुंदर बनता जीवन  
फुलवारी से सुंदर बनता मधुबन ।

सद्भाव से ओजस्वित होता आनन  
मन को छू लेता बच्चों का भोलापन

दिखावटी हंसी नहीं रे भाई !  
आकर्षित करती है मन की मुस्कान ।

सुंदर मन से सुंदर बनता जीवन  
फुलवारी से सुंदर बनता मधुबन ।

मन प्रफुल्लित कर देता सावन  
मिटा देता धरती की अगन  
मित्रों की भरमार से नहीं रे भाई !  
मैत्री भाव से मिट जाती तपन



दिनेश सिंह  
स.नि (रा.भा.)



श्रीमती वाई. श्रीविद्या  
निजी सचिव

## ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने के उपाय

किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं । जीव अपनी ऊर्जा की पूर्ति हेतु भोजन का सहारा लेते हैं । मशीन तथा यंत्र हेतु ऊर्जा के विभिन्न रूप, जैसे - सौर-ऊर्जा, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी इत्यादी स्रोतों का सहारा लेते हैं । (1) प्रकृति में मूल रूप से ऊर्जा के दो स्रोत हैं । ऊर्जा के सीमित स्रोत - इसके अन्तर्गत मूल रूप से विद्युत ऊर्जा, कोयला, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं । अर्थात् ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं, जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं तथा जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है । (2) ऊर्जा के असीमित स्रोत - ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं, जो भविष्य में समाप्त नहीं होने वाले हैं । अर्थात् इनके स्रोत असीमित हैं । इनके अन्तर्गत मूल रूप से सौर-ऊर्जा, जल-ऊर्जा एवं पवन-ऊर्जा आते हैं ।

ऊर्जा संरक्षण के सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति में ऊर्जा की कुल मात्रा निश्चित है तथा इसका विनाश नहीं किया जा सकता है । केवल इसके रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे मैक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि-ऊर्जा में परिवर्तित करता है । विद्युत-बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश-ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है । विद्युत-मोटर, विद्युत-ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है । डायनेमो यांत्रिक-ऊर्जा को विद्युत-ऊर्जा में परिवर्तित करता है । आइंस्टाइन का प्रसिद्ध प्रकाश-ऊर्जा समीकरण -  $E=MC^2$  इसी से संबंधित है, परंतु मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का संबंध ऊर्जा के ऐसे स्रोतों के संरक्षण से संबंधित है, जो भविष्य में समाप्त होने वाले हैं । अर्थात् जिनके मूल स्रोत प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे- कोयला का उपयोग मनुष्य इंधन हेतु विभिन्न प्रकार के कारखानों में भट्ठियों के इंधन के रूप में उपयोग में लाता है। साथ ही साथ कोयला का उपयोग ताप विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। परन्तु कोयला जो स्रोत प्रकृति में उपलब्ध है वह निश्चित है लेकिन आज हम जिस तरह से कोयला का उपयोग कर रहे हैं, यह भविष्य में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा ।

आज हमारा पूरा जीवन ही डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के इर्द-गिर्द घूम रहा है । हम जिधर भी देखते हैं हमें रेलगाड़ी, बस, कार बाइक इत्यादि दिखाई देते हैं, जो मूल रूप से ऊर्जा की आपूर्ति हेतु पूर्णतया, डीजल, पेट्रोल पर आश्रित है। हमारे रसोई घरों में खाना पकाने का गैस आज हर घर में प्रयोग में लाया जा रहा है। हमारी अर्थ व्यवस्था किस तरह से डीजल, पेट्रोल पर आश्रित है इसका अनुमान हम इस तरह से लगा सकते हैं कि जब भी डीजल, पेट्रोल के दाम में मात्र दो रूपये की भी बढ़ोतरी होती है, बाजार की हर उपभोक्ता वस्तु महंगी हो जाती है। परन्तु जिस तरह से डीजल, पेट्रोल का आज प्रयोग हो रहा है, भविष्य में डीजल, पेट्रोल की उपलब्धता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका भी स्रोत सीमित है। विद्युत ऊर्जा हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया है। आज हमारे घरों में जलने वाले बल्ब, पंखे कूलर, एसी, फ्रिज इत्यादि सभी को चलाने के लिये विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शहरों में तो यदि 2-3 घंटे के लिए भी विद्युत आपूर्ति ठप होती है तो पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति भी पूर्णतः विद्युत आपूर्ति पर निर्भर है। वस्तुतः विद्युत आज हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया है, जिसके अभाव में आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि विद्युत आपूर्ति ठप हो जाए तो ऊँची सोसाइटी के महलों में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सभी कारखाने बंद हो जाएंगे। अधिकांश रेलगाड़ियाँ बन्द हो जाएँगी और सभी सरकारी कार्यालय बंद हो जाएंगे परन्तु इसका उपयोग करते वक्त हम यह नहीं सोचते हैं कि विद्युत उत्पादन की मात्रा निश्चित होती है, यदि हम सोच-समझ कर उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वह भविष्य में समाप्त हो जाएगा।

उपर्युक्त बातों से सिद्ध होता है कि ऊर्जा के सीमित स्रोतों का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है तथा उसके दुरुपयोग को रोकना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं-



**विद्युत ऊर्जा** - हम प्रायः देखते हैं कि हमारे घरों में, कार्यालयों में, कारखानों में तथा सार्वजनिक स्थानों में बिना आवश्यकता के भी बल्ब जल रहे होते हैं, पंखे चल रहे होते हैं । ए.सी., जिससे बहुत ज्यादा विद्युत की खपत होती है, दिन भर चलाया जाता है, यहाँ तक कि जाड़ों में भी । कंप्यूटर का मॉनीटर हमेशा ऑन रहता है, चाहे उस पर कोई काम करे या ना करे । हम इलेक्ट्रिक आयरॉन को ऑन करते हैं, और अन्य काम करने लग जाते हैं । इस प्रकार इन सभी से एक बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का दुरुपयोग हो जाता है । ऐसे दुरुपयोग को रोक कर बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा की बचत हम कर सकते हैं । इसके लिए आवश्यक है कि जनता में जागरूकता लाई जाए तथा शिक्षा के माध्यम से लोगों में वैज्ञानिक सोच का विकास किया जाए ।

**कोयला:** कोयले का प्रयोग घरों में तथा कारखानों में ईंधन के रूप में किया जाता है तथा इसके संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि कोयले की जगह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जो असीमित हैं, जैसे - सौर-ऊर्जा, पवन-ऊर्जा तथा जल-ऊर्जा आदि का प्रयोग किया जाए । उदाहरण के लिए, अभी भी भारत में विद्युत उत्पादन का पचास प्रतिशत से भी ज्यादा भाग ताप विद्युत द्वारा किया जाता है । इसके लिए यदि जल-विद्युत का प्रयोग किया जाए तो प्रति वर्ष करोड़ों टन कोयले की बचत की जा सकती है ।

**डीजल, पेट्रोल:** डीजल, पेट्रोल का प्रयोग प्रमुख रूप से परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। आज कार चलाना हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। अतः हम छोटी-छोटी दूरियाँ भी, जो आसानी से पैदल पूरी की जा सकती हैं, उसके लिए हम बेवजह कार / बाइक का प्रयोग करते हैं और डीजल पेट्रोल जैसे विशेष महंगे ईंधन की खपत कर देते हैं। रोड पर चलते समय, ट्रॉफिक-सिग्नल्स पर हम दस-दस मिनट पर अपने वाहन को स्टार्ट में रख कर बिना मतलब के एक बहुत बड़ी मात्रा में डीजल व पेट्रोल को बरबाद कर देते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि लोगों की सोच को बदला जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पेट्रोल, डीजल और विद्युत को पढ़े-लिखे लोग ही ज्यादा बरबाद करते हैं।

उपर्युक्त बातों के साथ-साथ यदि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, जैसे नाभिकीय-ऊर्जा, विद्युत- ऊर्जा, जल-ऊर्जा, पवन-ऊर्जा तथा सौर-ऊर्जा का अधिक-से-अधिक उपयोग आरंभ करें तो यह प्रकृति के दृष्टिकोण से भी तथा ऊर्जा-संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है।



श्री संदीप सिंह  
प्र.श.लि.

**कश्मीर की धारा 370 का अभिनिषेधः  
राष्ट्र-एकीकरण की नींव या ध्रुवीकरण की पहल**

..." समयपरक निर्णय, कार्यवाही की चिंगारी प्रज्जवलित करता है। यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा और अगर साहसपूर्ण ढंग से मुद्दों का सामना नहीं करेंगे तो समस्याएँ सदा के लिए अनुत्तरित रखेगी ।"

विल्फ्रेड पीटरसन

**लेखक एवं विचारक**

भविष्य की पीढ़ियाँ अगर भारतीय इतिहास के पन्नों को जब पलटेगी तो उनका सामना ऐसी कई तारीखों से होगा जिन्होंने समय और इतिहास की धारा को मोड़ कर रख दिया और देश में आमूल-चूल परिवर्तन कर डाले। ऐसी ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिशील तिथि 05 अगस्त 2019, जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा जारी आदेशानुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित फर दिया गया और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान की धारा 370 को अभिनिषेध कर दिया गया । अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह मुद्दा है क्या ? और इस पर इतनी राजनीति और विश्व स्तर पर संवेदनशीलता क्यों है ? तो आइए नज़र डालते हैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर -

**कश्मीर का संक्षिप्त इतिहासः**

कश्मीर का इतिहास भी भारतीय उपमहाद्वीप जितना ही पुराना है । यह क्षेत्र मध्य, पूर्व तथा दक्षिण एशिया का एक अन्तः द्वार था । मानव सभ्यता के विकास के साथ इस क्षेत्र में हिन्दू तथा बौद्ध धर्म का विकास हुआ । 9-वीं शताब्दी तक यहाँ शिव भगवान को मानने वालों का तेजी से उद्भव हुआ । पुरानी मान्यता है कि कश्मीर को ऋषि कश्यप ने तब स्थापित किया था जब उन्होंने वूलर झील को पहाड़ों के बीच से रास्ता दें घाटी का निर्माण किया और बाराह मूल के निवासियों को बसाया जो आज बारामूला के नाम से जानी जाती है । परंतु मिथकों और किस्सों से परे इतिहास अपनी चाल स्वयं चलता है । 12-वीं शताब्दी तक हिन्दू राज्य का विघटन शुरू हो चुका था तथा मुस्लिम शासकों ने अपने पैर जमा लिए थे । तेहरवीं शताब्दी में मीर शाह नामक बादशाह ने मुस्लिम राज्य की नींव रखी और अगले लगभग 600 साल तक उनका बोलबाला रहा । सन 1561 में मुगल राजाओं ने लड़ाई जीत कर मुगल शासन शुरू किया और सन् 1819-20 में महाराजा रणजीत सिंह ने अफ़गानी मूल के दुर्गानी वंश को हराकर सिख साम्राज्य की स्थापना की परंतु सन् 1846 में अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई में वे हार गए । तत्पश्चात् लाहौर संधि और अमृतसर की संधि में उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर की रियासत 70.5 लाख रुपयों में खरीद ली । राजा गुलाब सिंह उसके पहले राजा बने और यह व्यवस्था उनके पोते महाराजा हरि सिंह तक 1947 की संधि से पहले तक चलती रही ।

### **जनसंख्या एवं सामाजिक ताना-बाना:**

1901 को संयुक्त भारत जनगणना के अनुसार राज्य में 77% मुस्लिम 20% हिंदू एवं 33% सिख तथा अन्य धर्म के अनुयायी थे। इसका अर्थ था कि जो राजा व शासक वर्ग था यह मूलतः अपनी प्रजा से एक अलग धर्म संप्रदाय से आता था। विवाद की जड़ के कुछ कारणों को धर्म की धारा में भी ढूँढ़ा जा सकता है।

### **भौगोलिक स्थिति:**

जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र मूलतः तीन भागों में बंटा है, जो अत्यधिक शीत प्रदेश हैं:

1. भारत शासित जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र,
2. पाकिस्तान के अधिकार वाला कश्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तान,
3. चीन के नियंत्रण में अक्साईचिन व काराकोरम का क्षेत्र, जिसमें जनसंख्या की दृष्टि से चीनी क्षेत्र वस्तुतः आबादी रहित है, जबकि भारत-पाकिस्तान क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं।

### **कश्मीर विवाद का धारा 370 के उद्भव का तात्कालिक कारण:**

सन 1946-47 आते-आते अंग्रेजी शासन को उनकी डांवाडोल स्थिति का भान हो चुका था। इसलिए भारत से सम्मान पूर्वक विदा लेने के लिए उन्होंने आवश्यक कारवाई को मूर्त रूप देने शुरू कर दिए थे। 18-जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (इंडियन इंडीपेंडेंस एक्ट) पारित किया जिसके अनुसार भारत में स्थित 600 से अधिक छोटी-बड़ी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे यह निर्णय ले सकती थी कि:

1. वह भारत में सम्मिलित हो जाए, या
2. वह पाकिस्तान के साथ विलय कर लें, या
3. वह स्वतंत्र रूप से रहे।

अधिकांश रियासतों ने भारत के साथ विलय होना पसंद किया। जो क्षेत्र भौगोलिक रूप से व धार्मिक जनसंख्या के अनुसार पाकिस्तान के पास थे वे पाकिस्तान में मिल गए परंतु कुछ रियासतें ऐसी थीं जो अभी तक या तो निर्णय नहीं ले पाई थीं या वे स्वतंत्र रहना चाहती थीं, जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद शामिल थे, परंतु जो सबसे बड़ी रियासत थी वह थी जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर ने स्वतंत्र रहना पसंद किया और पाकिस्तान के साथ व्यापार व वित्तीय संबंधों पर संधि भी कर ली। परंतु 11 अगस्त, 1947 के आस-पास मुस्लिम बहुल पुंछ क्षेत्र में वहां के निवासियों ने उपद्रव कर दिया, जिसका पाकिस्तान ने साथ दिया क्योंकि वह राजा हरि सिंह को विद्रोह का डर दिखा कर अपने साथ विलय कर लेने पर विवश करना चाहता था। पाकिस्तान के नियमित सैनिक, कबायलियों के भेष में पुंछ और अन्य क्षेत्रों में घुस आए। उनकी संख्या बल के आगे राजा रहि सिंह बेबस थे। इसलिए उन्होंने भारत से सहायता मांगी। भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू व राजा हरि सिंह की बातचीत के उपरांत राजा हरि सिंह ने 26-अक्टूबर, 1947 को भारत में विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तान ने इसे भारत की चाल बताया और भारत ने उसे आक्रमणकारी ठहराया।

### **प्रथम भारत पाक युद्धः**

इसी मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध भी हुआ। संधि पर हस्ताक्षर होते ही भारतीय सेनाओं ने कश्मीर में घुस कर पाकिस्तानी सेना को मार भगाया। परंतु कुछ क्षेत्र अभी भी अशांत थे। अक्टूबर-1947 से लेकर जनवरी-1949 तक असंजस की स्थिति थी और जब मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा तब वर्तमान स्थिति पर ही लौटने पर दोनों देश सहमत हुए। यानी जो जहाँ था वहाँ पर युद्ध-विराम हुआ और इसका अर्थ यह था कि जिसके नियंत्रण में जो था वह उस पर कब्जा रख सकता था।

**1952 की दिल्ली शिखर वार्ता:**

पंडित नेहरू और कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच वार्ता का हल यह निकला कि जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए अलग पैकेज बना । 1947 में श्री एन.जी. अयंगर, जो राजा हरि सिंह के पूर्व दीवान थे, ने धारा-370 का पहला खाका खींचा और पंडित नेहरू के सामने प्रस्ताव की रूप-रेखा रखा ।

**1954 का राष्ट्रपति आदेश:**

पंडित नेहरू के कहने पर प्रथम राष्ट्रपति ने 1954 में धारा 35-ए एवं धारा-370 का आदेश दिया था, जो कि एक अस्थायी धारा थी । परंतु वह समस्त जम्मू कश्मीर राज्य को एक अलग दर्जा देती थी ।

**धारा-370 व धारा-35-ए की वस्तुस्थिति:**

धारा-370, जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत के किसी भी अन्य राज्य से अलग खड़ा करती थी । धारा-371 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा कुछ और राज्यों के पास भी है, परंतु जो विशेषाधिकार जम्मू एवं कश्मीर के पास था वह अभूतपूर्व था जैसे:

1. भारतीय संविधान व व्यवस्था जम्मू व कश्मीर राज्य में रक्षा, संचार, वित एवं विदेश नीति तक ही सीमित थी
2. यह राज्य अन्य सभी मामलों में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र था ।
3. राज्य का अलग ध्वज था ।
4. धारा-360 के अंतर्गत बाहरी आक्रमण को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति में आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता था ।
5. राज्य के बाहर का यानी भारत का अन्य नागरिक न तो स्थायी रूप से इस राज्य में बस सकता था, न ही जमीन खरीद सकता था और न ही नौकरी पा सकता था ।
6. वहां पर यदि कोई महिला बाहरी व्यक्ति ( जो इस राज्य का निवासी न हो ) से विवाह करती थी तो उसे अपने समस्त मालिकाना-हक्क से हाथ धोना पड़ता था । ये सब अपने आप में इस राज्य को भारत से अलग-थलग ही बना रहे थे ।

**धारा 370 का अभिनिवेद व उससे होने वाले हानि लाभ:**

कहा जाता है कि लगभग 70 साल पहले पारित धारा-370 ने कश्मीर एवं कश्मीरी लोगों को कभी भी भारत से जुँड़ने का व उनसे एकीकृत होने का अवसर ही नहीं दिया । इस धारा ने वर्ग के भीतर एक अन्य वर्ग का निर्माण किया, जिसने भारत के एकीकरण के विपरीत कार्य किया । धारा-370 के विरुद्ध निम्नलिखित कारण बनते हैं ।

**यह धारा भारतीय संविधान की धारा-19, 14 तथा 21 के उल्लंघन में है:**

धारा-14, 19 तथा 21, देश के किसी भी नागरिक को देश में समानता का व जीवन-यापन करने का निर्बाध रूप से अधिकार देती है । धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेद-भाव अमान्य है । परंतु धारा-370 और उसमें निहित उप धारा-35(ए) महिलाओं के साथ भेदभाव करती थी । बाहरी व्यक्तियों के साथ विवाह करने पर महिलाएं घर, निवास, नौकरी इत्यादि सभी अधिकारों से वंचित हो जाती थीं । यही नहीं, देश के अन्य नागरिक भी समानता के अधिकार से उस राज्य में वंचित हो जाते थे ।

## राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक:

जब तक आप स्व-निर्मित एक दृढ़ एवं अद्वश्य दीवार के अंदर रहेंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया से परे रहेंगे । धारा-370 व 35-ए ने राज्य के नागरिकों को अन्य राज्यों व भारत वर्ष के साथ मिलने-जुलने में कठिन बाधा का काम करता रहा । वहां के लोग भारतीय संस्कृति, सभ्यता के साथ संगम नहीं कर पाए व एकसार नहीं हो पाए ।

## व्यापार एवं वित्तीय घटे:

भारत की सरकार ने जम्मू व कश्मीर राज्य को करोड़ों-अरबों रूपयों की सबसिडी (प्रति वर्ष) प्रदान करती थी, क्योंकि वहां के नागरिकों को विशेष दर्जा प्राप्त था । वहां के नागरिक ही सभी नौकरियों में स्थान पाते थे चाहे उनसे अधिक पात्र व्यक्ति संपूर्ण भारत वर्ष में क्यों न हों । इतना ही नहीं, जम्मु-कश्मीर के लोग भारत में कहीं भी व्यापार, नौकरी या जीवन- यापन कर सकते थे, परंतु इसके विपरीत भारत के अन्य नागरिक इस अधिकार से वंचित थे । इतना ही नहीं, चूंकि वहां बड़े उद्योग-धंधे नहीं लग सकते थे, इसलिए सभी सामान बाहर से आता था, जो महंगा हो जाता था, परंतु सरकार टैक्स न लगाकर सब्सिडी देती थी । वहाँ पर्यटन अकेला सबसे बड़ा व्यापार था, परंतु उसमें भी स्थानीय निवासियों का ही वर्चस्व स्थापित था । इस कारण, बाहरी व्यक्तियों व पर्यटकों के साथ मनमाना व्यवहार होता था ।

## वर्तमान स्थिति:

आज धारा-370 का निषेध हुए लगभग एक माह ( इस लेख के लिखे जाने तक ) होने को है । स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर लौट रही है, परन्तु तनाव कुछ क्षेत्रों में अब भी है । लेकिन हमें यह भी मानना होगा की 70 सालों की आदतें, चेष्टाएँ एक महीने में नहीं जा सकती । बड़े परिवर्तन की आदत डालने में सबको समय लगेगा । सरकार की घोषणाओं के अनुसार आने वाले समय में वहां व्यापार व नौकरी के अवसर बड़ी संख्या में सभी के लिए उपलब्ध होंगे । कुछ लोगों का कहना है कि सरकार अत्यंत कड़ाई के साथ काम कर रही है । देश की भलाई में उठाए गए कुछ कदम कड़े तो हो सकते हैं, परन्तु उनके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे । हम 70 सालों तक पाकिस्तान व कश्मीरी निवासियों के साथ वार्ता, मान मनौवल, चिराँरी करते रहे परंतु परिणाम में चार-चार युद्ध मिले । आज लिया गया एक कठोर निर्णय आने वाले भविष्य को सुखद बनाएगा, क्योंकि जैसे राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था -

सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की  
संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की...



श्रीमती एम. विजयलक्ष्मी  
अधीक्षक

### महंगाईः कारण और निवारण

**महंगाई का अर्थ-** प्रत्येक मनुष्य को जीवनयापन के लिए भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह खेती, नौकरी, व्यापार आदि का सहारा लेकर धन कमाता है तथा उससे अपने मुख्य कर्तव्य निभाता है, साथ ही कुछ बचता है, तो शेष को सुख-सुविधाओं पर खर्च करता है। मनुष्य के जीवन का अधिकांश अपनी बुनियादी आवश्यकताओं तथा सुख-सुविधाओं को पूरा करने में बीत जाता है। मनुष्य चाहता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु उसे मिल जाती है, भविष्य में भी उसी मूल्य पर मिलती रहे, परंतु अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो पाता है। मांग और पूर्ति का अंतर बढ़ता जाता है और यह अंतर जब सभी वस्तुओं के लिए बढ़ता है, तो उसे महंगाई कहते हैं।

**महंगाई का दुष्प्रभाव-** मूल्यवृद्धि होने से आदमी को अपनी आवश्यकताओं का परिशीलन करना पड़ता है। अपनी मांग पूरी करने के लिए उसे बहुत विचार करने पड़ते हैं और मूल्यवृद्धि के कारण अपनी आवश्यकताओं पर उनकी प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना पड़ता है। महंगाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए नौकरी वालों को महंगाई भत्ता दिया जाता है परंतु जिस दर से महंगाई बढ़ती है उस दर से भत्ता नहीं बढ़ता है, परिणामस्वरूप धनिक वर्ग के साथ मध्यम वर्ग तथा छोट-छोटे व्यापारी भी महंगाई के शिकार बन जाते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों तथा छोटे किसानों को अपने दैनिक खर्च के लिए भी कमाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति से परेशान होकर समाज में घुसखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी अनैतिक हरकतें फैलती हैं। मूल्यवृद्धि से देश का विकास बाधित होता है और इससे हर प्रकार के उद्योग-धर्थे असफल होने लगते हैं।

**महंगाई के कारण-** महंगाई बढ़ने के कारणों में वित्त-व्यवस्था के साथ प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कारण भी जिम्मेदार हैं -

1. सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उद्योगों में किसी कारणवश उत्पाद में कमी होने पर मांग पूरी नहीं होती है और चीजें महंगी हो जाती हैं। अधिक लाभ कमाने की लालच भी महंगाई को जन्म देती है।
2. राजनीतिक लाभ कमाने के लिए राजनेता एवं पूँजीपति वर्ग दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं राजनेता पूँजीपतियों से धन लेते हैं और राजनेताओं का सह पाकर पूँजीपति बुनियादी जरूरत की चीजों की जमाखोरी करके बाजार में उन चीजों की अप्राकृतिक कमी कर देते हैं और वही चीजें मुँहमांगी कीमत पर बिकने लगती हैं।
3. मूल्यवृद्धि के लिए जनसंख्यावृद्धि भी सीधे तौर पर जिम्मेदार है क्योंकि दिन-प्रतिदिन तेजी से जनसंख्या बढ़ने से भी किसी भी उत्पाद की मांग पूरी नहीं हो पाती है फलस्वरूप मूल्यवृद्धि होती ही रहती है।

जारी है.....

4. औद्योगीकरण एवं शहरीकरण बढ़ने से कृषि योग्य भूमि एवं बाग-बगीचों की कमी होती जा रही है जिसके कारण कृषि उत्पाद में भी कमी आती है और महंगाई बढ़ जाती है ।
5. सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के कर निर्माताओं और सेवा दाताओं को मूल्य बढ़ाने के लिए विवश करते हैं और अंत में उसका सबसे अधिक असर समाज के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर पड़ता है ।
6. उत्पादों के स्थानांतरण के लिए यातायात की सुविधाओं पर किया गया खर्च उपभोक्ताओं से लिया जाता है और इससे भी सामानों की कीमत बढ़ जाती है ।
7. सरकारी वित्त-व्यवस्था में दोष के कारण किसी क्षेत्र में हुए घाटे को दूसरे क्षेत्र की आय से पूरा किया जाता है और अधिक मांग वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त या अनावश्यक कर लगाया जाता है जिससे संबद्ध वस्तुएँ महंगी हो जाती हैं ।
8. आयात-निर्यात में उत्पन्न भुगतान संबंधी असंतुलन को कम करने के लिए सरकार आयात घटाकर निर्यात को बढ़ावा देती है जिससे विदेशी वस्तुओं का आना कम हो जाता है परंतु निर्यातित वस्तु की देश के बाजार में कमी हो जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है ।
9. प्रशासन में शिथिलता के कारण उससे जुड़े कृषि उत्पाद एवं व्यवसाय में कमी आती है तथा भ्रष्टाचार और आलसता को बढ़ावा मिलने लगता है जिसके कारण उत्पादित वस्तुओं कीमत बढ़ने लगती है ।
10. उद्योगों में तथा प्रशासनिक तंत्र में हड़ताल, समाज में दंगा-फसाद आदि से और प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़, भूकंप एवं सूखा होने के कारण भी मानव जनित कार्यों में कमी आने से उत्पादकता में कमी आती है और अंततः मूल्यवृद्धि होती है । इसके अलावा भी कई सामाजिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक कारणों से मूल्यवृद्धि होती है ।



### महंगाई का निवारण

महंगाई का निवारण दोनों सरकारी एवं सामाजिक तौर से संभव है । सरकारी तौर पर आर्थिक विकास के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन कराकर तथा सामाजिक तौर पर लघु उद्योगों एवं कृषि-कार्य के लिए सहायक योजनाओं को प्रोत्साहन देकर महंगाई का स्थायी रूप से निवारण किया जा सकता है । भारत में हर सामाजिक-आर्थिक समस्या के लिए जनसंख्या मुख्य कारण है । जब भारत में खाद्यान्न और दैनिक जीवन में आवश्यक कच्चे सामानों की कमी थी, तब सरकार ने कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा दिया परंतु जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होने

जारी है.....

के कारण उपभोक्ताओं की भी बाढ़ आ गई और साथ में अन्य कई सामाजिक समस्याएँ भी पैदा हो गईं । अब महंगाई का स्थायी निवारण निम्नलिखित उपायों से संभव है-

क) भारतीय समाज में शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिए लोगों को जागृत करके तथा परिवार को सीमित रखते हुए हर शिक्षित व्यक्ति के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके महंगाई कम की जा सकती है ।

ख) कृषि क्षेत्र की समस्याओं जैसे- सिंचाई की कमी, उन्नत किस्म के बीज एवं खाद की कमी, कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए सुगम बाजार की कमी एवं यातायात के लिए अच्छी सड़कों की कमी इत्यादि को दूर करके किसानों की आर्थिक तंगी दूर की जा सकती है ।

ग) कृषि से जुड़े उद्योग एवं गाँव-गाँव और शहर-शहर में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर यातायात के लिए होने वाले खर्चों को कम करके वस्तुओं की कीमत नियंत्रित की जा सकती है । इसके लिए आवश्यक है कि सरकारी तंत्र में शामिल लोग ईमानदारी एवं संयम का कठोरता से पालन करें और राजनीतिक वर्ग निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र-कल्याण की भावना से काम करें ।

---



एन. सुब्रह्मण्यम  
अधीक्षक

### प्रदूषण

वायु प्रदूषण- हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति, जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदूषण अर्थात् दूषित होना या गन्दा होना। वायु का अवांछित रूप से गन्दा होना अर्थात् वायु प्रदूषण है। वायु में ऐसे बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य अथवा कल्याण हेतु हानिकारक हो, ऐसी स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं।

वायु प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण हैं:

1. वाहनों तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआ तथा रसायन।
2. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे- रेफिजरेटर, एयरकंडीशन एवं कूलर इत्यादि से निकलने वाली गैसें।
3. आण्विक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल-कण।
4. जंगलों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआँ।
5. ज्वाला मुखी विस्फोट (जलवाष्प, SO<sub>2</sub>)

### वायु प्रदूषण का प्रभाव

वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

- हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी-खाँसी, अँधापन, श्रव का कमज़ोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियाँ पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे जनन विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरमसीमा पर यह घातक भी हो सकती है।
- वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आँखों में जलन होती है।
- ओजोन परत, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है। जो हमें सूर्य से आनेवाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन, अनुवंशिकीय तथा त्वचा केंसर के खतरे बढ़ जाते हैं।



जारी है.....

- वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइ आक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस आक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है।

जल प्रदूषण के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं:-

- मानव-मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन।
- सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन न होना।
- विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन।
- कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना।
- नदियों में कूड़े-कचरे, मानव-शवों और पारम्परिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन।
- गंदे नालों, सीवरों के पानी का नदियों में छोड़ा जाना।
- कच्चा पेट्रोल, कुँओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है जिससे जल प्रदूषित होता है।
- कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी, बीएचसी आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवरों एवं मछलियों आदि को हानि पहुँचाता है। अंततः खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं।



जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं:

- इससे मनुष्य, पशु तथा पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाईफाइड, पीलिया, हैंजा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियाँ पैदा होती हैं।
- इससे विभिन्न जीव तथा वनस्पतियों को नुकसान पहुँचता है।
- इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि जमीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है।
- सूक्ष्म-जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिये अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जिसके कारण जल में रहने वाले जीव-जन्तुओं की मृत्यु हो जाती है।
- प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं।

जारी है.....

इन पौधों अथवा इनके फलों को खाने से अनेक भयंकर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है।

6. मनुष्य द्वारा पृथ्वी का कूड़ा-कचरा समुद्र में डाला जा रहा है। नदियाँ भी अपना प्रदूषित जल समुद्र में मिलाकर उसे लगातार प्रदूषित कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भू-मध्य सागर में कूड़ा-कचरा डालना बंद न किया गया तो डॉलफिन और टूना जैसी सुंदर मछलियों का यह सागर शीघ्र ही इनका कब्रगाह बन जाएगा।
7. औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ प्रायः क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकिल एवं पारा आदि विषेश पदार्थों से युक्त होते हैं।
8. यदि यह जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाली मछलियों को खाने से शरीर में पहुँच जाएँ तो गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है।
9. जिसमें अंधापन, शरीर के अंगों को लकवा मार जाना और श्वसन क्रिया आदि का विकार शामिल है। जब यह जल, कपड़ा धोने अथवा नहाने के लिये नियमित प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है।

ध्वनि प्रदूषण का कारण- अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को 'डेसिबल इकाई' में मापा जाता है।

1. शहरों एवं गाँवों में किसी भी त्योहार व उत्सव में, राजनैतिक दलों के चुनाव प्रचार व रैली में लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित इस्तेमाल/प्रयोग।
2. अनियंत्रित वाहनों के विस्तार के कारण उनके इंजन एवं हार्न के कारण।
3. औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता के पावर सायरन, हॉर्न तथा मशीनों के द्वारा होने वाले शोर।
4. जनरेटरों एवं डीजल पम्पों आदि से ध्वनि प्रदूषण।

ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव

1. ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप अथवा स्नायुविक, मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियाँ बढ़ जाती हैं।
2. ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ जाती है जिससे रक्तचाप, सिरदर्द एवं अनिद्रा जैसे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

जारी है.....

3. नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इससे कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। गैस्ट्रिक, अल्सर और दमा जैसे शारीरिक रोगों तथा थकान एवं चिड़चिड़ापन जैसे मनोविकारों का कारण भी ध्वनि प्रदूषण ही है ।

प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय मुददा बन गया है क्योंकि यह हर आयु वर्ग के लोगों और जानवरों के लिए स्वास्थ्य का खतरा है। हाल के वर्षों में प्रदूषण की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ सीधे मिट्टी, हवा और पानी में मिश्रित हो रहे हैं। हमारे देश में इसे नियंत्रित करने के लिए पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसे गंभीरता से निपटने की जरूरत है अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा भुगतेगी।

प्रदूषण प्राकृतिक संसाधनों के प्रभाव के अनुसार कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे की वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि । प्रदूषण की दर इंसान के अधिक पैसे कमाने के स्वार्थ और कुछ अनावश्यक इच्छाओं को पूरा करने की वजह से बढ़ रही है। आधुनिक युग में जहाँ तकनीकी उन्नति को अधिक प्राथमिकता दी जाती है वहां हर व्यक्ति जीवन का असली अनुशासन भूल गया है।

अनावश्यक वनों की लगातार कटौती, शहरीकरण, औद्योगीकरण के माध्यम से ज्यादा उत्पादन, प्रदूषण का बड़ा कारण बन गया है। इस तरह की गतिविधियों से उत्पन्न हुआ हानिकारक और विषेला कचरा, मिट्टी, हवा और पानी के लिए अपरिवर्तनीय परिवर्तन का कारण बनता है जो कि अंततः हमें दुःख की ओर अग्रसर करता है । यह बड़े सामाजिक मुद्दे को जड़ से खत्म करने और इससे निजात पाने के लिए सार्वजनिक स्तर पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है ।

---



पी. कार्तिक  
प्र.श्रे.लि.

## वृक्षारोपण

### प्रस्तावना:-

हमारे देश भारत की संस्कृति एवं सभ्यता वनों में ही विकसित हुई है । यह एक तरह से मानव का जीवन सहचर है । वृक्षों की जड़ों से वर्षा ऋतु का जल धरती के अंक में पहुँचता है यही जल स्त्रोतों में गमन करके हमें अपार जल राशि प्रदान करता है । वृक्षारोपण मानव समाज का सांस्कृतिक दायित्व भी है क्योंकि वृक्षारोपण हमारे जीवन को सुखी संतुलित बनाए रखता है । वृक्षारोपण हमारे जीवन में राहत और सुखचैन प्रदान करता है ।

### संस्कृति और वृक्षारोपण :

भारत की सभ्यता वनों में ही विकासमान हुई है हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने इन वृक्षों की छाँव में बैठकर ही चिंतन मनन के साथ ही ज्ञान के भंडार को मानव को सौंपा है वैदिक ज्ञान के वैराग्य में, आरण्यक ग्रंथों का विशेष स्थान है ।

### वृक्षारोपण उपासना. :

हमारे भारत देश में जहाँ वृक्षारोपण का कार्य होता है वही इन्हें पूजा भी जाता है कई ऐसे वृक्ष हैं, जिन्हें हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है जैसे नीम, पीपल, आँवला, बरगद आदि को शास्त्रों के अनुसार पूजनीय माना गया है और साथ ही धर्म शास्त्रों में सभी तरह से वृक्ष प्रकृति के सभी तत्वों की विवेचना करते हैं । जिन वृक्षों की हम पूजा करते हैं वे औषधीय गुणों का भंडार भी होते हैं जो हमारी सेहत को बरकरार रखने में मददगार सिद्ध होते हैं । आदिकाल में वृक्ष से ही मनुष्य के लिए भोजन की पूर्ति होती थी, वृक्ष के आसपास रहने से जीवन में मानसिक संतुलन और संतुष्टि मिलती है ।

### वनों से लाभ :

वनों से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है । औषधीय, जड़ी-बूटियाँ, गोंद, धास, तथा जानवरों का चारा भी वनों से ही प्राप्त होता है । वन तापमान को सामान्य बनाने में सहायक होते हैं एवं भूमि को बंजर होने से रोकते हैं । वनों से लकड़ी, कागज, फर्नीचर, दवाईयाँ, सभी के लिए हम वनों पर ही निर्भर हैं । वन दूषित वायु को ग्रहण करके हमें शुद्ध एवं जीवन दायक वायु प्रदान करते हैं । जितनी वायु और जल जरूरी है उतना ही आवश्यक वृक्ष होते हैं इसलिए वनों के साथ ही वृक्षारोपण सभी जगह करना जरूरी है और कई तरह के लाभ देने वाले वनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ।

### वनों के कटने से कई तरह की हानियाँ

आज मानव अपनी भौतिक प्रगति की तरफ आत्मर है वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बेधङ्क वृक्षों की कटाई कर रहा है । औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और जनसंख्या के कारण वनों का क्षेत्रफल प्रतिदिन घटता जा रहा है ।

जारी है.....

वृक्षों के कटने से पक्षियों का चहचहाना भी कम होता जा रहा है, पक्षी प्राकृतिक संतुलन स्थिर रखने में प्रमुख कारक हैं परंतु वृक्षों की कटाई से वे भी अब कम ही दिखने लगे हैं अगर इसी तरह से वृक्ष की कटाई होती रही तो इसके अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ।

### वृक्षारोपण कार्यक्रम

हमारे देश भारत में वृक्षारोपण के लिए कई संस्थाएँ, पंचायती राज संस्थाएँ, राज्य वन विभाग, पंजीकृत संस्था, कई समितियाँ वृक्षारोपण के कार्य करवाती हैं । कुछ संस्थाएँ तो वृक्षों को गोद लेने की परंपरा कायम कर रही हैं । शिक्षा के पाठ्यक्रम में वृक्षारोपण को भी स्थान दिया गया है पेड़ लगाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए आज हमें ए.के. जोन्स की तरह ही वृक्षारोपण का संकल्प लेने की आवश्यकता है।



### उपसंहार

आज हमारे देशवासी वनों तथा वृक्षों की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं वन महोत्सव हमारे राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है देश की समृद्धि में हमारे वृक्ष का भी महत्वपूर्ण योगदान है इसलिए इस राष्ट्र के हर नागरिक को अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है ।



श्रीमती वाई. श्रीविद्या,  
निजी सचिव

## राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा

राजभाषा का अर्थ है- राजा या राज्य की भाषा, जिसका प्रयोग शासन या राज्य के कामकाज में होता है । राष्ट्रभाषा का उपयोग उस राज्य में रहने वाले सामान्य जन करते हैं ।


राजभाषा का प्रयोग सीमित है, विस्तृत नहीं है । वर्तमान काल में राजभाषा हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में होता है । उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है परंतु तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश में राजभाषा हिंदी का प्रयोग नहीं होता है ।

राष्ट्रभाषा का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि यह सारे देश की संपर्क भाषा हो सकती है । राष्ट्रभाषा यदि लोकप्रिय हो, तो इसके साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परम्पराएँ जुड़ी रहती हैं और इसका संबंध जीवन के प्रत्येक पक्ष से होता है । राजभाषा हो या राष्ट्रभाषा या कोई अन्य भाषा, उसके द्वारा यदि रोजी-रोटी, सामाजिक प्रतिष्ठा और कोई भौतिक लाभ जितना अधिक प्राप्त होगा समाज में उसका बोलबाला उतना ही अधिक होगा और समाज के सक्रिय वर्ग द्वारा उसे उतना ही अधिक प्रोत्साहन मिलेगा । मध्य युग में फारसी का और आधुनिक युग में अंग्रेजी का हिंदी पर जो प्रभाव पड़ा है वह सर्वविदित है ।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर, 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में किया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 343 (2) में संविधान के लागू होने से 15 वर्षों तक के लिए अंग्रेजी का प्रयोग प्राधिकृत रहेगा । अनुच्छेद 343 (3) में संसद को उक्त अवधि के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को प्राधिकृत करने हेतु विधि-निर्माण का अधिकार दिया गया है, फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम 1964 द्वारा यह उपबंध किया गया कि सभी राजकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी, 1971 तक होता रहेगा । पुनः राजभाषा अधिनियम, 1967 द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित समय तक जारी रखने का उपबंध किया गया है ।

जारी है.....

आगे, संविधान में यह नियम जोड़ा गया कि जब तक देश का एक भी राज्य चाहेगा तब तक अंग्रेजी केंद्र सरकार की संपर्क भाषा बनी रहेगी । इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में नहीं होगा । अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है जो अंग्रेजों के शासनकाल में भी भारतीय संस्कृति और रहन-सहन को प्रभावित नहीं कर सकी और देश की स्वतंत्रता में हिंदी ने ही नेतृत्व किया । परंतु भारतीय समाज का एक हिस्सा जो अंग्रेजी सीखकर अंग्रेजों की तिमारदारी में बड़प्पन महसूस करता था, अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारतीय राजनीति एवं प्रशासन में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अंग्रेजी की वकालत करना जारी रखा और जो काम अंग्रेज नहीं कर सके उसी काम को चलाते रहना उनकी रोजी-रोटी बन गया । अपनी भाषा को आगे बढ़ाने की बजाए विदेशी भाषा का संचार बहुत तेजी से हुआ और सभी भारतीय भाषाओं की गरिमा समाप्त हो गई । क्षेत्रीय भाषाओं में संचार कम होने लगा और बोल-चाल में अंग्रेजी ने रोब दिखाना शुरू कर दिया ।



भारत 29 राज्यों का संघ है इसलिए राज्य की सीमा पार करने पर एक भाषा छोड़कर दूसरी भाषा में संपर्क करना होता है । यदि दो भाषाएँ मिलती-जुलती हैं तो संपर्क के लिए काम चलाया जा सकता है परंतु यदि एक दूसरे से पूरी तरह अबोध्य हैं, तो कठिनाई हो जाती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए अंग्रेजी का सहारा न लेकर हिंदी का प्रयोग किया जाना श्रेयष्कर होगा । अंतरराज्यीय दायरे से निकलकर जब अंतरराष्ट्रीय दायरे में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ भी अभी तक अंग्रेजी का सहारा लेते हैं, परंतु इससे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुँचती है । जब रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी और इजरायल अपना पत्राचार या संपर्क अपने देश की भाषा में करते हैं, तो भारत जैसा समृद्ध परंपराओं एवं संस्कृति वाला देश अपनी भाषा हिंदी को अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए क्यों नहीं प्रयोग कर सकता है ।



राजीव अग्रवाल,  
बहुकार्य स्टाफ

## ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन

भारत मुख्य रूप से एक कृषि आधारित देश है। किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे अपने खेतों में अनाज और सब्जियां उगाने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। वे फसलों की सिंचाई के लिए तालाबों और नहरों में पानी के संरक्षण करते हैं। किसानों का शहरों की भागदौड़ एवं हलचलों से दूर एवं प्रकृति के करीब होता है। वहां यदि भूमि और जाति के पूर्वाग्रहों एवं प्रचलित अंधविश्वासों पर होने वाले संघर्षों को अगर छोड़ दें तो हर जगह शांति और सौहार्द का माहौल होता है। ग्रामीण जीवन शहरों की अपेक्षा काफी शांतिपूर्ण है और यहां लोग शहर के लोगों के तरह व्यस्त जीवन नहीं जीते हैं। वे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात को भी समय पर सो जाते हैं। इसके साथ ही गांव की हवा भी काफी स्वच्छ होती है और वहीं दूसरी तरफ शहरों में काफी प्रदूषण और भीड़ होती है। ग्रामीणों का जीवन भी साधारण होता है वहीं शहरी जीवन व्यस्तता एवं भारी तनाव से भरा हुआ होता है। ग्रामीण सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य भारतीय संस्कृति और विरासत की द्योतक हैं। यही कारण है कि आज के समय में भारत में ग्रामीण जीवन और संस्कृति काफी लोकप्रिय हो रही है। आज के समय में लोग अपनी छुट्टियां अधिकतर अपने गावों में बिताना पसंद करते हैं।

### शहरी जीवन में व्यस्तता

दूसरी ओर, शहरों में लोग हमेशा वक्त की कमी से जूझते हैं, यहां हर कार्य काफी तेजी के साथ करना होता है जीवन में को उत्साह नहीं होता है। वहाँ हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने का जबरदस्त तनाव बना रहता है और व्यस्त शहरी जीवन की वजह से स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियां भी हो जाती हैं। शहरी निवासियों को अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, या यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए भी काफी कम

गांवों में एवं शहर में रहने वाले लोगों के जीवन में सिर्फ इतना ही फर्क नहीं है । शहरी और ग्रामीण जीवन एक - दूसरे के बिल्कुल विपरीत है और इन दोनों जीवनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां ग्रामीण जीवन में संयुक्त परिवार, मित्रो, रिश्तेदारों और साधरण जीवन को महत्व दिया जाता है। वही शहरी जीवन में लोग एकाकी तथा चकाचौंध भरा जीवन जीते हैं ।

गांवों में ज्यादातर आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, स्कूलों, नर्सिंग होम एवं कारखाने जहां लोगों को रोजगार मिलता है आदि की कमी होती है। गांवों में स्वयं के परिवहन के साधन की व्यवस्था की अनुपलब्धता की स्थिति में ग्रामीणों को कई मील तक पैदल चलने की गांवों में केवल मौसमी रोजगार उपलब्ध होते हैं एवं ज्यादातर लोगों को वहां लाभप्रद रोजगार उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी कारकों की वजह से अच्छी शिक्षा, रोजगार और जीवन की सुख-सुविधाओं की तलाश में ग्रामीण लोग बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं ।

शहरों में बी जीवन का अपना एक अलग नकारात्मक पहलू है - यह दबाव, तनाव और चिंता से भरा पड़ा है। यहाँ के लोगों के पास आराम और सुविधाओं की कई सामग्रियां होती हैं लेकिन उन्हें मानसिक शांति नसीब नहीं होती है। वे निजी और पेशेवर जीवन से संबंधित कार्यों में इतना व्यस्त होते हैं कि वे कभी-कभी वे भी अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते ।

आगे बढ़ने के लिए सुविधाओं और अवसरों की उपलब्धता ग्रामीण जीवन की अपेक्षा शहरी जीवन में अधिक होती है। लेकिन शहरों में प्रदूषण, शोर, पर्याप्त पानी की अनुपलब्धता है और साथ ही वहां ट्रैफिक जाम, भीड़भाड़ और अपराध भी एक गंभीर समस्या है। इसी तरह, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं की कमी है, लेकिन स्वच्छ हवा और शांति वहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं ।

गांव भारतीय संस्कृति और विरासत का दर्पण है। वहां भारत की सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं। आप गांवों में आज भी धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और गांवों के लोग अपने अतिथियों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं तथा उनका व्यवहार भी काफी दोस्ताना होता है। वहीं दूसरी तरफ शहरी जीवन विभिन्न प्रकार की कठिन चुनौतियों से भरा होता है ।


ज्यादातर, शहरों में रहने वाले लोगों के पास नवीनतम एवं अत्याधुनिक सुख-सुविधाओं के साधन उपलब्ध होते हैं लेकिन वे हमेशा किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं और अफसोस की बात है कि वे अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इस प्रकार, ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के जीवन की

जारी है.....

अपनी अलग-अलग विशेषताएं एवं कमियां हैं ।

### आर्थिक असमानता

भारत में शहरी जीवन व्यापक असमानता से भरा पड़ा है। वहाँ के निवासियों के पास आनंद के असीमित साधन है, लेकिन कुछ लोग तो इतने गरीब होते हैं कि वे मलिन बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं। आर्थिक असमानता, प्रदूषण और कचरे के द्वे शहरी अस्तित्व के अभिशाप हैं। लोगों को शहरों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति की कमी का भी सामना करना पड़ता है। फिर भी लोग शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आराम एवं मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। लाभप्रद रोजगार के अच्छे अवसर भी लोगों को गांवों की अपेक्षा शहरों में ज्यादा मिलते हैं ।



### शहरी जीवन वरदान या अभिशाप ?

शहरी जीवन कई मायनों में एक वरदान है, लेकिन दूसरी ओर यह एक अभिशाप भी है। हर साल शहरों की आबादी कई गुना बढ़ रहा है। जिससे शहरों के बुनियादी ढांचे पर दबाव भी बढ़ रहा है और कई बार वहाँ लोग अंधाधुंध दौड़ में भागते हुए अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं।

भारत गांवों का देश कहलाता है। देश की आबादी का सङ्क्षेप प्रतिशत अभी भी गांवों में रहती है। जो लोग गांवों में रहते हैं उनके लिए शहरी क्षेत्र का जीवन कठिनाइयों से भरा है। उन्हें शहरों में बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होता हुआ शौर, भीड़ और धुआं काफी असहज महसूस कराता है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों को उनके जीवन की व्यस्तता और तेजी से प्यार है। उन्हें धन, शक्ति और अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के अपने सपनों का पीछा करना प्रिय है। प्रत्येक दिन जीवित रहने के

निश्चित रूप से गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में एक बड़ा अंतर है। दोनों ही जीवन शैलियों में एक दूसरे के अच्छे पहलुओं को शामिल करके संतुलन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है लेकिन समय के साथ-साथ लोग शहरों की तरफ आकर्षित हुए हैं और शहरों में जाकर रहना आरंभ किया है। लेकिन ग्रामीण जीवन में परेशानियां भी बहुत हैं। वहाँ अक्सर भूमि से संबंधित विवाद होते रहते हैं और कई बार एक ही गोत्र में प्रेम विवाह की वजह से भी रक्तपात एवं हिंसा की घटनाएं भी हो जाती हैं। कई बार ग्राम पंचायतें विभिन्न विवादों पर विचार-विमर्श करते हुए बहुत कठोर और निर्मम निर्णय सुना देते हैं। जिनसे लोगों का जीवन दुख और दर्द से भरी हुई एक कहानी बन के रह जाता है।

गांव के लोग अपनी शहरी बाजारों में अपने कृषि की उपज जैसे अनाज, फल और सब्जियों की बिक्री पर निर्भर रहते हैं और साथ ही शहरी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से कि जा रही जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। गांवों से लोग रोजाना आधुनिक जीवन की नवीनतम सुख-सुविधाओं की आवश्यक वस्तुओं को खरीदने, फिल्म देखने, आनंद मनाने एवं शहरी प्रतिष्ठानों में नौकरी करने के लिए सफर करके शहर आते हैं। वास्तव में भारत का समग्र विकास गांवों और शहरों के सामंजस्यपूर्ण विकास के बिना असंभव है क्योंकि ये दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं।

ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जीवन के अपने-अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू हैं। दोनों ही क्षेत्रों के जीवन एक दूसरे से काफी अलग है। परंपरागत तौर पर, भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था असली भारत गांवों में बसता है।



जारी है.....

## शहरी जीवन वरदान या अभिशाप ?

शहरी जीवन कई मायनों में एक वरदान है, लेकिन दूसरी ओर यह एक अभिशाप भी है। हर साल शहरों की आबादी कई गुना बढ़ रहा है। जिससे शहरों के बुनियादी ढांचे पर दबाव भी बढ़ रहा है और कई बार वहां लोग अंधाधुंध दौड़ में भागते हुए अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं।

भारत गांवों का देश कहलाता है। देश की आबादी का सड़सठ प्रतिशत अभी भी गांवों में रहती है। जो लोग गांवों में रहते हैं उनके लिए शहरी क्षेत्र का जीवन कठिनाइयों से भरा है। उन्हें शहरों में बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होता हुआ शोर, भीड़ और धुआं काफी असहज महसूस कराता है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों को उनके जीवन की व्यस्तता और तेजी से प्यार है। उन्हें धन, शक्ति और अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के अपने सपनों का पीछा करना प्रिय है। प्रत्येक दिन जीवित रहने के लिए जीवन की भागदौड़ में उन्हें नई-नई समस्याओं और जटिलताओं से जूझना पड़ता है।

निश्चित रूप से गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में एक बड़ा अंतर है। दोनों ही जीवन शैलियों में एक दूसरे के अच्छे पहलुओं को शामिल करके संतुलन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है लेकिन समय के साथ-साथ लोग शहरों की तरफ आकर्षित हुए हैं और शहरों में जाकर रहना आरंभ किया है। लेकिन ग्रामीण जीवन में परेशानियां भी बहुत हैं। वहाँ अकसर भूमि से संबंधित विवाद होते रहते हैं और कई बार एक ही गोत्र में प्रेम विवाह की वजह से भी रक्तपात एवं हिंसा की घटनाएं भी हो जाती हैं। कई बार ग्राम पंचायतें विभिन्न विवादों पर विचार-विमर्श करते हुए बहुत कठोर और निर्मम निर्णय सुना देते हैं। जिनसे लोगों का जीवन दुख और दर्द से भरी हुई एक कहानी बन के रह जाता है।

### ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर

दुर्भाग्य से, नौकरियों की खोज तथा आराम एवं सुख- सुविधाओं की सामग्रियों की चकाचौंध की वजह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। हालांकि, अब देश में गांव भी जीवन स्तर के मामले में आगे बढ़ रहे हैं और शहरी करण तेज गति से हो रहा है। बिजली, पानी, कंक्रीट की सड़कों, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल की सुविधाएं अब ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में सुलभता से पहुंच रही हैं। किसान भी अब आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं, और अब वे बैलों के स्थान पर ट्रैक्टरों द्वारा खेतों को जोत रहे हैं।

जारी है.....

## निष्कर्ष

गांवों में भी जीवन की अपनी समस्याएं हैं। वहाँ अक्सर भूमि के मालिकाना हक एवं जाति से संबंधित झड़पें होती रहती हैं। कई गांवों में भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। हालांकि हम चाहे गांव में रहे या शहर में लेकिन हमें अपने जीवन में सही संतुलन और उद्देश्य को स्थापित करने की आवश्यकता है। लगातार व्यस्त रहने की वजह से शहरी लोगों के स्वास्थ्य पर भी भारी प्रभाव पड़ता है और वे कम उम्र में ही जीवन शैली से संबंधित विभिन्न रोगों ग्रस्त हो जाते हैं। उनमें से कुछ को रात में नींद ना आना और मानसिक संतुलन बिगड़ने जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जीवन में जमीन आसमान का अंतर है लेकिन फिर भी ये दोनों ही भारत के विकास के अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार, गांवों और शहरों का जीवन दो परस्पर विरोधी चित्रों को प्रस्तुत करता है। दोनों ही के अपने-अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू हैं और यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह ग्रामीण या शहरी किसी भी जीवन के माहौल में रहते हुए नकारात्मक पहलुओं की परवाह किए बगैर उपलब्ध अवसरों का अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाएं।

गांवों में ज्यादातर लोगों की जिंदगी कृषि पर निर्भर करती है। कुछ लोग पशुपालन और कृषि आधारित कुटीर उद्योगों द्वारा भी जीविकोपार्जन करते हैं। ज्यादातर ग्रामीण किसान होते हैं। वे काफी मेहनती नम एवं उदार होते हैं। किसान जब सुबह-सुबह उगते हुए सूरज के साथ अपने खेतों में हल चलाते हैं तो पक्षियों की चहचहाहट बैलों के चलने की आवाज के साथ जुड़कर कड़ी मेहनत का एक राग जैसा गुनगुनाता हुआ महसूस होता है। किसान अपने शहरी समकक्षों जो शहरों में भौतिकवाद की गलाकाट प्रतियोगिता की वजह से अपनी अच्छाई खो बेठते हैं कि तुलना में स्वभाव से निर्दोष प्रतीत होते हैं। शहरों में जीवन का अपना एक अलग नकारात्मक पहलू है - यह दबाव, तनाव और चिंता से भरा पड़ा है। यहाँ के लोगों के पास आराम और सुविधाओं की कई सामग्रियां होती हैं लेकिन उन्हें मानसिक शांति नसीब नहीं होती है। वे निजी और पेशेवर जीवन से संबंधित कार्यों में इतना व्यस्त होते हैं कि उन्हें अपने पास-पड़ोस में होने वाले घटनाओं तक की खबर नहीं रहती है।



एन. राजशेखर  
प्र.श्रे.लि.

## भारत में चिकित्सा व्यवस्था - एक अवलोकन

हम जानते हैं कि हमारा भारत देश न केवल वेदधूमि है, बल्कि कई शास्त्रों का निलय भी है। इतिहास गवाह है कि यहाँ पर सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं अपितु उन्हें क्रियान्वित भी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भारत में शल्य-चिकित्सा शास्त्र, नाट्य-शास्त्र, गणित-शास्त्र आदि अपने चरम पर थे और यही कारण है कि हमारे देश पर कई आक्रमण हुए और इस में अँग्रेज सफल भी हुए। अँग्रेजों के शासन काल में उन्होंने अपनी प्रथाएँ हमारी जनता पर भी जबरन लागू की थीं, जैसे कि शिक्षा-व्यवस्था, आर्थिक-व्यवस्था, प्रशासनिक-व्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था आदि। परन्तु इनमें कई कमियों भी रह गई हैं।

भारत के स्वतन्त्र होने बाद भी चिकित्सा-व्यवस्था पर कोई ठोस प्रयास नहीं हुए, जबकि संविधान में यह प्रावधान है कि जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करने का दायित्व सरकार पर है। इसी के अंतर्गत संसद में सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना-1983 में पारित किया गया था और 2012 व 2017 में इसी का संशोधन भी हुआ। हम सभी को यह बाद विदित है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में काफ़ी सूझबूझ एवं प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता होती है, जो नहीं है और इसी के फलस्वरूप नीतियों का पूर्ण लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ आज खस्ता हाल में हैं और विडम्बना की बात यह है कि आज के दिन स्वास्थ्य सेवाएँ पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र की मनमानी से चल रही हैं। हम चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं को तीन भागों में बाँट सकते हैं, जैसे कि - 1. प्राथमिक, 2. माध्यमिक और 3. अति-विशिष्ट। इन तीनों सेवाओं की उपलब्धि अपनी जनता को करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता की जीवन-शैली के स्तर में सुधार, पोषण स्तर में सुधार एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार लाना केन्द्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है और इसके अनेक कारण बताए जाते हैं।

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का स्तर ठीक न रहने का एक कारण यह है कि अनुभवी स्वास्थ्य-सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्रामीण प्रान्तों में कार्य करने से इन्कार करना व कम अनुभवी स्वास्थ्य-सेवा प्रदाताओं द्वारा मजबूरन अपनी सेवाएँ देना और दूसरा कारण है केन्द्र और राज्य सरकारों के नीति-कार्यान्वयन में मतभेद।

इसमें दुखद बात यह है कि निजी क्षेत्र इस अव्यवस्था का भरपूर लाभ उठाते हुए उनके यहाँ आने वाले रोगियों से जबरन अधिक धन वसूल कर रहा है। आज 58% अस्पताल निजी क्षेत्र के लोग चलाते हैं। आज की तारीख में हमारे देश में 1.62 करोड डॉक्टर हैं, हमारी स्वास्थ्य-सेवाएँ संतोषजनक नहीं हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, परन्तु इनमें प्रमुख कारण हैं - अव्यवस्था। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, विषेश रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग इन सेवाओं से वंचित न रह जाएँ, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र के अस्पतालों में रोगियों की देखभाल तो ठीक-ठाक होती है और स्वास्थ्य-कर्मी रोगियों के साथ अधिक समय भी बिताते हैं, परन्तु निजी क्षेत्र अपनी सेवाओं को रूपए के रूप में बदल कर रोगियों से अधिक धन वसूलता है, जिसके कारण गरीब जनता स्वास्थ्य-सेवाओं से वंचित रह जाती है। इसके लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों पर नियंत्रण करना समय की मांग है और इसके लिए सरकार को काफ़ी ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे -

मांग है और इसके लिए सरकार को काफ़ी ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे -

1. प्राथमिक सार्वजनिक-स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक धन व्यय करें और इसे पूरे देश में लागू करें।
2. निजी क्षेत्र के अस्पतालों को नियंत्रित करें और इनका नियमित रूप से निरीक्षण करें।
3. रोगियों को दी जा रही सुविधाओं का पुनरीक्षण करें और युवा डॉक्टरों की मानसिकता में बदलाव लाने का प्रयास करें।
4. स्वास्थ्य संबंधी सम्यक क्षेत्रों की व्यवस्था पर ध्यान दें और फ़ीडबैक-सिस्टम पर बल दें।
5. चिकित्सा-विज्ञान संबंधी संसाधनों एवं उनके परीक्षण की अभिवृद्धि पर अधिक ध्यान दें।

इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना आयुषमान भारत योजना 23-सितम्बर, 2018 को प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को प्राथमिक-स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है और देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ एवं सुखी जीवन जिए, जैसे कि हमारे देश भारत की यह संकल्पना भी रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टचिद् दुःखभाग भवेत् - ताकि वे भी देश की प्रगति में अपना सक्रिय एवं स्वस्थ योगदान दे सके और हमारा देश भी एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं प्रगतिशील देश बने।

---



एस. बालचन्द्र प्रताप  
भेषजज

## भूमण्डलीय तापमान

आज विश्व की सबसे बड़ी चिन्ता भूमण्डलीय तापमान है। क्योंकि सारे जीव-जन्तु, पशु, पक्षी, मानव आदि पर इस भूमण्डलीय तापमान का प्रभाव पड़ता है। इससे अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और प्रकृति विनाश की ओर बढ़ रही है। क्या है भूमण्डलीय तापमान?

पर्यावरण में कार्बन डाइक्साईड, मिथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाने से सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने के बाद वे इसी में जम हो जाती हैं, बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पातीं, जिससे धरती की तपन बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष-2000 में Co<sub>2</sub> की संख्या 200-PPM थी तो आज इसकी संख्या 380-PPM है। इसके कई कारण हैं, जैसे - काफी रफ्तार से औद्योगिकीकरण का होना, कॉकिट-जंगल के रूप में शहरों का विकास होना, वाहनों का प्रदूषण बढ़ जाना आदि-आदि। मनुष्य की इन गतिविधियों के कारण पर्यावरण में मिथेन गैस, कार्बन डाइक्साईड आदि की मात्रा पर्यावरण में अधिक बढ़ गई है। धरती का तापमान 0.6 सेंटीग्रेड बढ़ गया है। इसके कई नकारात्मक दुष्प्रभाव आज सामने आ रहे हैं। इसलिए सभी देशों को मिलकर भूमि के संरक्षण के संबंध में संयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए।

### भूमण्डलीय तापमान के दुष्प्रभाव:

1. समुद्र का जल भी अम्लीय हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जीव-जन्तुओं का भी अंत हो रहा है। समुद्र में पाई जाने वाली कोरल वनस्पति की कैल्शियम कार्बनेट तैयार करने की क्षमता भी घट रही है।
2. ध्रुवीय-क्षेत्रों में बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का जल-स्तर बढ़ने लगा है, जिसके कारण समुद्र के तटीय क्षेत्र डूबने की कगार पर हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि मालदीव्स, बांग्लादेश के कुछ तटीय क्षेत्र अब समुद्र में डूब चुके हैं।
3. जैव-विविधता में कमी होने लगी है। जीव संरक्षण हेतु बनाए गए पार्कों, उद्यानों, विहारों में बढ़ते तापमान के कारण अक्सर वहाँ आग भड़कने लगती है, जिसके कारण पशु-पक्षियों की काफी क्षति होने लगी है।
4. भूमण्डलीय तापमान का दुष्प्रभाव कृषि-उत्पादन पर भी पड़ने लगा है। चावल, गेहूं आदि का उत्पादन कम होने लगा है, जिसके दूरगामी दुष्प्रभाव मानव-जाति को भुगतने पड़ेंगे।
5. यह तो जगविदित तथ्य हैं कि वाहनों, कारखानों, बूचड़खानों आदि से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण व गैसों आदि के कारण लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष-2050 तक धरती का तापमान 3" सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा । ग्लोबल-विलेज के नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य सरकार द्वारा इस

# POLLUTION



समस्या को हल किए जाने के प्रयासों में अपना सहयोग देना चाहिए ।

जहाँ तक संभव हो, वाहनों की सवारी कम करके पैदल चलने का अथवा सैकिल की सवारी करने का प्रयास करना चाहिए ।

वर्षा-जल का संरक्षण करना चाहिए ।

पेड़-पौधों को उगाना और उनका संरक्षण करना चाहिए ।

अंग्रेजी के अक्षर 'R' से बने 5-शब्दों की संकल्पना को याद रखना चाहिए -

Reuse, Recycle, Regeneration, Reduce and Repair.

प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए ।

पेट्रोल व डिजिल की खपत कम-से-कम हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए ।

पर्यावरण संरक्षण के बारे में युवाओं और बच्चों में जागृति लाना चाहिए ।

जीव-जन्तुओं के संरक्षण में अपना सहयोग देना चाहिए ।

पुराने वाहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

## निष्कर्ष:

भूमि हमारा घर है और भूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है । इस कर्तव्य के निर्वहन से ही हम अपने sustainable development goals को उपलब्ध कर सकते हैं ।



एस. नूर मोहम्मद  
सहायक

## युवा शक्ति का महत्व

किसी भी देश का भविष्य, उस देश का नवयुवक होता है। देश की आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था को सुधारने व बढ़ाने के लिए देश की युवा-शक्ति का सही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि प्रायः युवा मन की भावना इस प्रकार होती है -

मैं युवा हूँ, प्रतिभाशाली हूँ  
तन-मन से शक्तिशाली हूँ  
हंसते-हंसते काम करता है  
देश-प्रगति की कामना रखता हूँ  
मैं युवा हूँ, प्रतिभाशाली हूँ  
तन-मन से शक्तिशाली हूँ

एक आकलन के अनुसार हमारा देश युवा-देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ 70% जनता युवा है, अर्थात भारत में 15-35 वर्ष की आयु वाले लोग अधिक हैं। अतः आज देश की युवा शक्ति को प्रतिभावान बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक निखार लाने की आवश्यकता है। इससे युवा वर्ग में स्वयं निर्णय ले सकने की क्षमता का विकास होता है। तकनीकी क्षेत्र में आज का युवा वर्ग प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत के आई.आई.टी., आई.आई.एम., सॉफ्टवेयर संस्थानों से पढ़कर व प्रशिक्षित होकर निकले युवा देश-विदेश में अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ देकर अच्छा पारिश्रमिक अर्जित कर रहे हैं।

प्रत्येक युवा के हाथ को काम दिलाने के साथ-साथ, बढ़ती आबादी की भी रोक-थाम करना आवश्यक है। तभी देश समृद्ध हो सकता है। सभी को सरकारी नौकरी दे पाना असंभव है, इसके लिए देश में कारोबार को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें नए-नए स्टार्ट अप्स के अवसर प्रदान करने से वे अपनी प्रतिभा उजागर कर सकते हैं। इस तरह से वे देश की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर अपना कारगर सहयोग दे सकेंगे। देश के नव-निर्माण में ऐसा युवा-वर्ग महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

आज भारत के युवा विदेशों में भी देश का नाम रौशन कर रहे हैं। आज बाहर के लोग भी भारत के युवाओं की प्रतिभा का लोहा मान रहे हैं। गूगल के सी.ई.ओ. श्री सुंदर पिच्चई, माइक्रोसॉफ्ट के सी.ई.ओ. श्री सत्य नादेला, पेप्सी की महिला सी.ई.ओ. किरण मजूमदार शाह आदि ऐसे कई उदाहरण हैं।

इसी ट्रैक पर हम चलते रहेंगे तो भारत का भविष्य अति-उज्ज्वल है।



वाई. श्रीविद्या,  
निजी सचिव

धीरे-धीरे एक-एक शब्द पढ़िएगा, हर एक वाक्य में कितना दम है -

"आंसू जता देते हैं, "दर्द" कैसा है "बेरुखी बता देती है, "हमदर्द" कैसा है  
"घमण्ड" बता देता है, "पैसा कितना है "संस्कार" बता देते हैं, "परिवार" कैसा है  
"बोली बता देती है, "इंसान" कैसा है "बहस" बता देती है, "ज्ञान" कैसा है  
"ठोकर" बता देती है, "ध्यान" कैसा है  
"नजरें" बता देती है, "सूरत" कैसी है  
"स्पर्श" बता देता है, "नीयत" कैसी है  
और "वक्त" बता देता है, "रिश्ता" कैसा है

समाज में बदलाव क्यों नहीं आता क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं  
सुबह की चाय" और बड़ों की "राय"

समय-समय पर लेते रहना चाहिए.....

पानी के बिना नदी बेकार है अतिथि के बिना आँगन बेकार है।

प्रेम न हो तो, सगे-सम्बन्धी बेकार हैं।

पैसा न हो तो, पाकेट बेकार है।

और जीवन में गुरु न हो

तो जीवन बेकार है।

इसलिए जीवन में

"गुरु जरूरी है।

"गुरुर" नहीं

जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो

कोई फायदा नहीं

और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हँसा दिया तो

मेरे दोस्त

आपको अगरबत्ती भी

जलाने की जरूरत नहीं

कर्म ही असली भाग्य है

धीरे धीरे पढ़िये पसंद आएगा....

1. मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का.....



एहसान जिंदगी भर का.....

2. कल एक इन्सान रोटी मांगकर ले गया और करोड़ों की दुआएँ दे गया, पता ही नहीं चला कि गरीब वो या मैं....
3. जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो ज़ख्म किसी अपने ने ही दिया है..
4. बचपन भी कमाल का था- खेलते-खेलते चाहे छत पर सोयें या ज़मीन पर, आँख बिस्तर पर ही खुलती थी..
5. खोए हुए हम खुद हैं, और ढूँढते भगवान को हैं...
6. अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माझी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए...
7. जिन्दगी तेरी भी अजीब परिभाषा है... सँवर गई तो जन्नत, नहीं तो सिर्फ तमाशा है....
8. खुशीयाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है....
9. जिंदगी भी वीडियो गेम सी हो गयी है एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है....

10. इतनी चाहत तो लाखों रूपये पाने की भी नहीं होती, जितनी बचपन की तस्वीर देखकर बचपन में जाने की होती है.....

11. हमेशा छोटी-छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इन्सान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है..

#### अनमोल वचन:

रिश्तों को अति मजबूत बनाने के लिए केवल एक दूसरे पर विश्वास करना सीखिये...शक तो सारी दुनिया करती है... ओम शान्ति

"परिवार का हाथ पकड़ कर चलिये, लोगों के "पैर" पकड़ने की नौबत नहीं आएगी; परिवार के प्रति जब तक मन में "खोट" और दिल में "पाप" हैं; तब तक सारे "मंत्र" और "जाप" बेकार हैं ।

जीवन एक यात्रा है; रो कर जीने से बहुत लम्बी लगेगी और हंस कर जीने पर कब पूरी हो जाएगी; पता भी नहीं चलेगा।

"ईश्वर" से शिकायत क्यों है; ईश्वर ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियाँ भरने की नहीं । हृदय कैसे चल रहा है; यह डाक्टर बता देंगे परन्तु हृदय में क्या चल रहा है; यह तो स्वयं को ही देखना है;....!

एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग-अलग क्यों, यही है जीवन...

"गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता.. तो सोचिये गलत कर्म से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे ?



श्री. राजीव नंदन राय  
उप निदेशक

## सूर्य सिद्धान्त - एक परिचय

विश्व इतिहास के अलग-अलग कालखण्डों में अलग-अलग सभ्यताएं विकसित होती रही हैं। ऐसा भी पाया गया है कि एक ही समय में विभिन्न क्षेत्रों में कई सभ्यताएँ एक साथ विकसित हुई हैं। इन सब के अपने-अपने इतिहास रहे हैं, जिनमें कुछ की जानकारी हमें है और शायद कईयों की नहीं हैं।

आज के विश्व में सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता 'भारतीय सभ्यता' है। नई-नई खोजों के साथ इस सभ्यता के कई नये तथ्य सामने आ रहे हैं। इस सभ्यता के ज्यादातर कथानक श्रुति एवं स्मृति के रूप में आज भी प्रचलन में हैं, क्योंकि ज्यदातर लिखित इतिहास को कई आक्रांताओं ने नष्ट कर डाला है। अभी तक जो कुछ भी लिखित या अन्य तरीके से जो भी सामाग्रि उपलब्ध है, उन पर काफी शोध कार्य करने की ज़रूरत है। नष्ट होने के बावजूद, आज तक 30 लाख से भी ज्यादा पाण्डुलिपियाँ मिली हैं जो कि इस सभ्यता के लोगों के उच्च ज्ञान को दर्शाता है। कुछ गन्थ तो इतने उच्च को कोटि के हैं कि साधारण लोग उनमें वर्णित तथ्यों को समझ ही नहीं पाते हैं और इसलिए उसे ग़लत एवं उनके लिखने वालों को कम जानकारी वाले, अवैज्ञानिक आदि नामों से सम्बोधित करने लगते हैं। ऐसी ही एक पुस्तक है 'सूर्य सिद्धान्त'। यह खगोलशास्त्र पर उपलब्ध विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इसके लेखक मायासुर हैं, जो संभवतः रावण के श्वसुर भी थे। पिछले 1500 सालों में कई विद्वानों ने इसका अध्ययन किया एवं उसमें वर्णित तथ्यों पर अपने विचार रखे जो उनकी एवं उस समय के विद्वानों की जानकारी पर आधारित था। कईयों को तो उसमें वर्णित तथ्य कपोल कल्पित लगे थे, जैसे दो ध्रुव तारों का होना, पृथ्वी का गोल होना, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त, समय की गति का वर्णन आदि। जैसे-जैसे आधुनिक विज्ञान का विकास होता गया उसमें वर्णित तथ्य भी मान्यता प्राप्त करते गये। आधुनिक संगणक (computer) की खोज ने उसमें वर्णित तथ्यों के सत्यापन में काफी मदद की है।

यह पुस्तक संस्कृत में लिखी गई है जिसके अभी तक 500 श्लोक प्राप्त हुए हैं जो 14 भागों में विभाजित हैं, यह खगोलशास्त्र के अति उच्च कोटि के सिद्धान्तों एवं तथ्यों को अपने अन्दर समेटे हुए हैं। इससे यह माना जाता है कि उससे पहले कई ऐसी पुस्तकें रही होंगी जिनमें इन सिद्धान्तों के मूल रूप की जानकारी एवं व्याख्या दी गई होगी जो अभी उपलब्ध नहीं हैं। इस पुस्तक का अनुवाद अबासिद खलीफा-अल-मसूर ने अरबी भाषा में लगभग 775 ई. में कराया था जिसके बाद इसे कई अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किया गया।

इस पुस्तक की उम्र यानि लिखे जाने की प्रथम तिथि के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं और इसे 1500 साल से लेकर 15000 साल तक पुरानी पुस्तक बताया गया है। आधुनिक समय के विद्वानों ने इसमें वर्णित खगोलीय स्थिति का अध्ययन कम्प्यूटर की सहायता से किया तो इसे 14000 से 15000 साल पुरानी पुस्तक माना है। अभी भी शोधकार्य जारी है।

इस पुस्तक में दो ध्रुव तारों की चर्चा की गई है जिनकी जानकारी पृथ्वी के दो सामान्य गतियों यानि परिक्रमण एवं परिभ्रमण के आधार पर नहीं की जा सकती है। इसकी व्याख्या करने के लिए पृथ्वी की दो अन्य गतियों की जानकारी होनी आवश्यक है, जिन्हें obliquity एवं precession कहा जाता है। Obliquity के अनुसार पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव  $22.1'$  से  $25.5'$  तक बदलता रहता है जिसका एक चक्र लगभग 40,000 साल में पूरा होता है। अभी यह  $23.5'$  है। Precession के अनुसार पृथ्वी के अक्ष की दिशा ब्रह्मांड में वृत्तीय रूप से बदलती रहती है।

उसका एक चक्र लगभग 26000 वर्षों में पूरा होता है। अभी इसकी दिशा पोलारिस नामक तारे की ओर है जिसे हम लोग ध्रुवतारा कहते हैं। पोलारिस के opposite side यानी दक्षिण दिशा में कोई भी स्थिर चमकीला तारा नहीं हैं जिसे ध्रुवतारा कहा जा सके, इसलिए वर्तमान में एक ही ध्रुवतारा है लेकिन आज से 11000-15000 वर्ष पहले उसकी दिशा ऐसी थी कि दो चमकिले तारे, एक उत्तरी ध्रुव पर एवं दूसरा एक दक्षिणी ध्रुव पर, दिखाई देते थे। कम्प्यूटर simulation की सहायता से यह सिद्ध हो चुका है।

वैसे ही, इसमें वर्णित समय की अलग-अलग फ्रेम में अलग-अलग गति को तब तक गलत माना जाता था जब तक कि आईस्टीन ने 1915 में सापेक्षता का सिद्धान्त (Theory of relativity) नहीं दिया। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त को न्यूटन द्वारा प्रतिपादित करने के बाद ही सही माना गया जो कि इस पुस्तक में साधारण रूप से वर्णित किया गया है। इस पुस्तक में त्रिकोणमिति के सिद्धान्त एक दम सटीक रूप से वर्णित हैं एवं उनके मानक भी आधुनिक मानक के बराबर पाये गये हैं। इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में लटका हुआ गोला है जिसमें किसी भाग को ऊपर या किसी को नीचे नहीं कहा जा सकता है। इस तथ्य को काफी समय तक लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उसमें पृथ्वी सहित अन्य खगोलीय ग्रहों के व्यास (Diameter) एवं परिभ्रमण (Revolution) समय के संबंध में बिलकुल सटीक जानकारी दी गई है जो यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में भी भारतीय सभ्यता काफ़ी उच्च स्तर की थी तथा अन्य सभ्यताएँ इसके जान से प्रकाशित होती रही थी। इस पुस्तक में समय को चक्रीय (cyclic) बताया गया है जो हमारे अन्य ग्रन्थों में भी स्वीकृत है, जिसके अनुसार समय का पहिया ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर की ओर घूमता है जिसे आज विज्ञान Bigbang एवं Big crunch के सिद्धान्त के रूप में मानता है। यह पुस्तक पृथ्वी को केन्द्र मानकर लिखी गई है न कि सूर्य को।

मुझे लगता है कि भारतीय सभ्यता भी ऊपर से नीचे की अपनी गति को पूर्ण कर चुकी है और अब यह नीचे से ऊपर वाली गति में ऊपर उठने लगी है। आगे आने वाले कई नयी खोजों से इसके गौरवमय इतिहास के बारे में हमें और अधिक जानकारी मिलेगी जो हमें अपने भविष्य को अति उच्च कोटी के स्तर तक ले जाने की प्रेरणा देगी।



**'दीपिका' के 20-वें अंक पर हैदराबाद की साहित्यक संस्था "गीत-चाँदनी" की दिनांक :  
20-10-2019 को संपन्न 275-वीं मूल्यांकन-गोष्ठी में नगर के साहित्यकारों द्वारा की  
गई चर्चा-परिचर्चा ।**

गीत चाँदनी के तत्वावधान में प्रतिमास नियमित रूप से संपन्न होने वाली मूल्यांकन कवि गोष्ठी के नामपल्ली स्थित हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद में आयोजन के दौरान कवि गोविंद अक्षय ने चर्चा का आरंभ करते हुए कहा कि मूल्यांकन गोष्ठी में आज कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद-तेलंगाना, से प्रकाशित होने वाली दीपिका 2018-2019, अंक-20 में प्रकाशित सामग्री पर हैदराबाद के विद्वान साहित्यकारों द्वारा चर्चा की जा रही है । इस अंक में स्वच्छ भारत-समृद्ध भारत को प्राथमिकता दी गयी है । उन्होंने आगे कहा कि इस पत्रिका का प्रकाशन स्वागत-योग्य है । ऐसी पत्रिकाओं से हिंदी के प्रचार-प्रसार में बड़ा सहयोग मिलता है । पत्रिका में प्रकाशित लेखों से कर्मचारियों एवं अधिकारियों में विकास तथा चेतना के संचार को एक नयी दिशा मिलती है ।

भारत सरकार के सेवा-निवृत्त वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री गजानन पांडेय जी ने पत्रिका में प्रकाशित कुछ विशेष आलेखों पर चर्चा करते हुए कहा कि पत्रिका में सभी प्रकार के विषयों को समाहित किया गया है । पत्रिका का मुख्य उद्देश्य हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है । गृह-पत्रिकाओं का प्रकाशन सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लेखन-प्रतिभा को प्रोत्साहित करना होता है । इस दृष्टि से पत्रिका बहुत अच्छा कार्य कर रही है । इसमें सभी प्रकार के लेखकों, कवियों आदि का मिला-जुला एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है उन्होंने आगे कहा कि पत्रिका में प्रकाशित 'विचार-शृंखला' जैसे आलेख जीवन में परिवर्तन लाने के लिएबहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं । उन्होंने अपनी आगे की चर्चा में मनुष्य की जीव से शिव की यात्रा पर विचार प्रस्तुत किए और कहा कि चौरासी लक्ष योनियों में भटकने के बाद यह देव दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है । अतः इसे मानव सेवा, परोपकार, त्याग, स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, विकारों से मुक्त होकर, मन को साधने और उसे प्रभु के चरणों व भक्ति में लगाने से ही इस माया-मोह रूपी संसार से मुक्ति संभव है ।

कवयित्री कुमुद बाला का कथन था कि मनुष्य हमेशा विकासोन्मुखी रहा है । विकास की दर हर सदी में आगे बढ़ती रही है । लेकिन उन्नीसवीं सदी के बाद टेक्नोलॉजी में विकास 1. की दर में काफ़ी तेज़ी आयी है और इक्कीसवीं सदी तो विकास के चरमोत्कर्ष पर खड़ी है । नित नये आविष्कार हो रहे हैं और इसने ही मनुष्य की क्षमता पर प्रश्न-चिह्न खड़ा कर दिया है । हमारे विकास के नये-नये दरवाज़े खुल रहे हैं, जिसने पूरी सदी को हतप्रभ कर दिया है । उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने से नये-नये विकल्प सामने आएँगे । इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाना होगा । साइंस (विज्ञान) की किताबों का क्षेत्रीय भाषाओं में ज्यादा-से-ज्यादा अनुवाद होना आवश्यक है और जन-साधारण तक पहुँचने के प्रयास होने चाहिए । उन्होंने डॉ. श्रीनारायण सिंह 'समीर' (निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार) के आलेख की चर्चा की । उन्होंने उक्त आलेख को एक अच्छे आलेख के रूप में रेखांकित किया तथा अनुवाद को विभिन्न परिभाषाओं एवं उदाहरणों से सजित बताते हुए कहा कि लेख में विकास की दर को नये परिवेश में बतलाने की कोशिश की गयी है, लेखक को साधुवाद ।

रत्नकला मिश्र ने 'अर्यो-अर्यो रामा तेलुगु समझ जाना के जुड़वा शब्दों पर आधारित प्रस्तुति की बड़ी सराहना और प्रशंसा की । ऐसी रचनाओं से क्षेत्रीय भाषाओं को बड़ी आसानी से सीखने में सहायता प्राप्त होती है ।

कवि सुहास भटनागर ने पत्रिका में प्रकाशित 'महिलाओं की शान' में कविता का मूल्यांकन प्रस्तुत करते आज की महिला वह महिला नहीं है जो 50 वर्ष पूर्व में थी । कहा कि आज महिला कदम-से-कदम मिलाकर पुरुष के साथ चल रही है । गाँवों में भी कुछ हद तक महिलाओं की स्थिति सुधरी है । परंतु आज भी गाँव में महिलाओं के प्रति जागरूकता और महिला-दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की ज़रूरत है । गाँवों में आज भी महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है । उन्होंने कविता की खूब तारीफ की ।

कवि प्रदीप देवीशरण भट्ट ने कविता की पंक्तियों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 'चार कोस पर बदले पानी, और आठ कोस पर वानी' - देश की समस्त भाषाएं अपनी भाषाएँ हैं और हिंदी इन सबको जोड़ने वाली भाषा है । चर्चित पत्रिका में प्रकाशित लेख 'फाल्गुन का त्यौहार होली' में लेखक ने रंगों के त्यौहार पर अद्भुत प्रकाश डाला है । लेखक ने फाग विधा के लोक गीतों - जिनमें ठप्पा, लेस, भंडोवा पर उदाहरण सहित प्रकाश डाला ।



भाषा है। चर्चित पत्रिका में प्रकाशित लेख 'फाल्गुन का त्यौहार होली' में लेखक ने रंगों के त्यौहार पर अद्भुत प्रकाश डाला है। लेखक ने फाग विधा के लोक गीतों - जिनमें ठप्पा, लेस, भंडोवा पर उदाहरण सहित प्रकाश डाला है। इसी क्रम में श्री दिनेश सिंह जी की कविता 'दिन वे पुराने फिर न आये' को बेहतरीन रचना के रूप में रेखांकित किया।

पत्रिका के संपादक श्री दिनेश सिंह स्वयं गोष्ठी में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हीरे को तराश कर उसका मूल्य बढ़ाना आदमी का काम है। आदमी को स्वयं अपनी गलती दिखाई नहीं देती है। श्री संजय सिंह और श्री दिनेश सिंह ने पांरपरिक ढंग से होली के अवसर पर गाये जाने वाले जनश्रुत फागों को लिपिबद्ध करके उनमें सुधार कर प्रकाशित किया है, जो एक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस कार्य का प्रयोजन यह था कि हैदराबाद की खुशबू हैदराबाद से बाहर भी जाए।

ग़ज़लकार श्री गोविंद मिश्र ने अपनी सुंदर और सटीक अध्यक्षीय टिप्पणी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि समीक्षकों ने पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का अपनी-अपनी इष्ट से बड़ा अच्छा मूल्यांकन प्रस्तुत किया। देश में हैदराबाद की संस्था 'गीत चाँदनी' ही एक ऐसी संस्था है जिसने पत्रिकाओं पर निरंतर रूप से मूल्यांकन-गोष्ठियों का आयोजन कर अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने सभी समीक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वे निरंतर अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें।

इस अवसर पर आयोजित कवि-गोष्ठी की अध्यक्षता उर्दू के प्रसिद्ध शायर अतियब एजाज ने की। कवि-गोष्ठी में देश की ज्वलंत समस्याओं के साथ-साथ जीवन के विभिन्न रंगों तथा देश की सम-सामयिक परिस्थितियों एवं आतंकवाद आदि विषयों पर नगरद़वय के बहुभाषी कवियों द्वारा विशेष काव्य पाठ किया गया। काव्य-पाठ करने वाले कवियों में सर्वश्री संत कुमार मंडल 'जागृति', सुहास भट्टनागर, सुरेश गुगलिया, श्रीमती विजय बाला स्याल, गजानन पांडेय, प्रदीप देवीशरण भट्ट, कुमुद बाला, गोविंद अक्षय, तस्नीम जौहर, चंद्र प्रकाश दाहिमा, रत्नकला मिश्र, दिनेश सिंह, डी. प्रेमराज, सत्यनारायण काकड़ा, जाहेद हरियाणवी, जईम जुमेरा, गोविंद मिश्र आदि के नाम सम्मिलित हैं। उर्दू शायर जाहेद हरियाणवी और जईम जुमेरा गोष्ठी में बतौर विशेष अतिथि मंच पर उपस्थित थे।

गोष्ठी-स्थल पर 'वाड़मय सेवा के अंतर्गत अखिल भारतीय हिंदी लघु पत्रिकाओं की एक प्रदर्शनी भी रखी गयी थी, जिसमें विभिन्न पत्रिकाओं के नये अंकों को प्रदर्शित किया गया, जिसका लाभ उपस्थित लोगों ने उठाया। रत्नकला मिश्र ने सभी कवियों, साहित्यकारों और श्रोताओं को धन्यवाद जापित किया।

( गोविंद अक्षय )

सह-कार्यदर्शी : गीत चाँदनी सेल नं 9246521546

-----

## चिट्ठी आई है.....

महोदय,

आपके कार्यालय की गृह-पत्रिका 'दीपिका' का नूतन अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका की सामग्री का अध्ययन अनुभूत कराता है कि आपका यह प्रयास भाषा, संस्कृति और राजभाषा के संरक्षण, प्रचार-प्रसार की एक उत्कृष्ट पहल है। इस दृष्टि से पत्रिका में शामिल 'चौमहला पैलेस', 'अपर आयुक्त का संदेश' और श्री संजय सिंह का साभार लेख 'फाल्गुन का त्यौहार - होली और फाग' उल्लेखनीय है। सभी कविताएँ पठनीय हैं।

संपादक मंडल को बधाई ! शुभकामनाओं सहित,

( होमनिधि शर्मा )

उप महाप्रबंधक (मा.सं-राजभाषा) एवं  
सदस्य सचिव, न.रा.का.स.(उ)

महोदय,

आपके द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "दीपिका" का अंक-20 प्राप्त हुआ। पत्रिका प्रेषण के लिए हार्दिक धन्यवाद।

पत्रिका का आवरण पृष्ठ बहुत ही सजीव है। सुंदर छायाचित्रों से सुसज्जित पत्रिका को और भी आकर्षक बनाती है। पत्रिका की प्रस्तुति एवं साज-सज्जा आकर्षक एवं मनोहारी है। पत्रिका का मुद्रण एवं पृष्ठ संयोजन उच्चकोटि का है। पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख सरल, सहज एवं उपयोगी हैं। पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख - "मौलिक तकनीकी लेखन और अनुवाद", "तेलुगु समझ जाना", "तेलुगु मराठी समानार्थी शब्द" एवं "रेल यात्रा या मेरी विरह यात्रा" - रुचिकर, ज्ञानवर्धक एवं प्रशंसनीय हैं। रचनाएँ पत्रिका को ज्ञानवर्धक एवं कार्यालय में सम्पन्न विभिन्न गतिविधियों के छायाचित्र पत्रिका को जीवंत और रोचक बनाते हैं।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए आपको तथा संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं !

भवदीय

( हरशरण मीणा )

उप निदेशक ( राजभाषा प्रभारी )

## हिन्दी पुस्तक-प्रदर्शनी की झलकियाँ



